समाहरणालय दरभंगा

(जिला आपदा प्रबंधन)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना का पत्रांक 2386/यो0वि0, दिनांक 15.05.18 के आलोक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ से घिरे परिवारों के लिये राहत एवं बचाव कार्य हेतु नावों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिये दरभंगा जिला के बाढ़ प्रवण अंचलों के लिये नई सरकारी नावों का क्रय/निर्माण हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं से अल्पकालीन निविदा दिनांक 16.06.2020 को 1.00 बजे अपराह्न तक मुहर बन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदा दिनांकः–16.06.2020 को 3.00 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदा दाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। वर्गीकृत नाव की विशिष्टता निम्न प्रकार होगाः–

आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नामः–

क्र0	सामग्री का नाम	लकड़ी का प्रकार	साईज / गुणवत्ता	दर	विशिष्ट (भार क्षमता)
1	नाव	जामून/सखुआ की सुखी लकड़ी से निर्मित	मझोली नाव 20'-0"X5'-0"X1'-8" नाव की पेन्दी का चौड़ाई – 4'-6" पेन्दी के तख्ते की मोटाई 1 अन्य तख्ते की मोटाई 3/4"	एक अदद	25 आदमी
2	नाव	जामून/सखुआ की सुखी लकड़ी से निर्मित	छोटी नाव 18'-0"X5'-0"X1'-6" नाव की पेन्दी का चौड़ाई – 3'6" पेन्दी के तखते की मोटाई – 1" अन्य तख्ते की मोटाई – 3/4"	एक अदद	15 आदमी

(I) तकनीकी निविदा की आवश्यक शर्तेः–

1 निविदा के साथ तीन वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र, GST निवंधन प्रमाण पत्र, PAN नम्बर एवं नाव की आपूर्ति करने से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2 काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

3 उद्योग विभाग द्वारा निबंधित होना चाहिए।

4 निविदाकर्त्ता को सुरक्षित राशि के रूप में 20000 रू0 (मो0 बीस हजार रू0) का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र नाजिर रसीद जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से तकनीकी निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

(II) वित्तीय निविदाः–

1 सील बंद लिफाफा में सामग्री का दर सभी कर सहित स्पष्ट करना आवश्यक होगा।

(III) निविदा की अन्य शर्तोः–

1 नाव में पट्टी डेढ़ फुट की दूरी पर होना चाहिये।

2 नाव का निर्माण कार्य स्थल दरभंगा जिला क्षेत्र अन्तर्गत ही होना चाहिये, जिसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को देना होगा।

3 नाव की आपूर्ति करने के पहले नाव की विशिष्टता की जांच जिला पदाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी जांच समिति द्वारा की जायेगी। तकनीकी समिति द्वारा विशिष्टता के अनुरूप पाये जाने वाली नावों की तत्पश्चात आपूर्तिकर्ता द्वारा गहनी एवं अलकतरा का कार्य करना होगा परंतु नाव की गहनी एवं अलकतरा का कार्य निविदत्त दर में ही सम्मिलित रहेगा।

4 वित्तीय निविदा के लिफाफे में प्रति नाव का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

5 न्यूनतम दर वाले सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश के उपरांत 15 दिनों के अन्दर नावों की आपूर्ति प्रारंभ करते हुए निर्धारित समय सीमा के पूर्व तक सभी नावों की आपूर्त्ति करनी होगी। सभी सरकारी नावो को पीले रंग से अघुलनशील पेन्ट से रंगा जाऐगा एवं उसपर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला दरभंगा, सरकारी नाव, निःशुल्क सेवा नावों की क्रम सख्या एवं लदान क्षमता अंकित रहेगा।

6 प्रत्येक निर्मित नाव की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक द्वारा की जायेगी। मोटरयान निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर निर्मित नाव क्रय की जायेगी।

7 निविदा के शर्तो के अनुरूप नावों की आपूर्ति नहीं करने पर भुगतान नहीं किया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

8 निविदादाता को कार्य आदेश के पूर्व उपर्युक्त शर्तो के अनुसार तीन दिनों के अन्दर एकारानामा करना होगा।

9 निविदा में अंकित मूल्य पर ही दरभंगा जिला के किसी भी स्थान पर नाव की आपूर्ति करना होगा। इसके लिये अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

10 निविदा स्वीकार किये जाने पर आपूर्ति किये गये नावों की पूर्ण कीमत में से 05 प्रतिशत राशि की कटौती कर भुगतान किया जायेगा। नाव की पूर्ण आपूर्ति एवं जांच के क्रम में सही पाये जाने पर ही शेष राशि का भुगतान किया जयेगा।

आपूर्ति की जाने वाली नावों का गहनी अलकतरा एवं बाहरी दीवाल पीले रंग के अघुलनशील पेंट से रंगा होना चाहिए, ताकि उसकी पहचान सरकारी नाव के रूप में हो सके। साथ ही उन पर काले रंग से विभाग का नाम लिखा होना चाहिए।

12 अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी समय किसी भी निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

13 बाढ़ की स्थिति में ही आवश्यकतानुसार नाव का क्रय किया जायेगा।

14 आदेश निर्गत होने से पूर्व नाव बनाने में उपयोग होने वाली लकड़ी का प्राप्त भंडारण का सत्यापन किया जा सकता है।

15 निर्धारित तिथि समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जाऐगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, दरभंगा के वेवसाईट www.darbhanga.bih.nic.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांकः– 654 /जि0आ0प्र0, लहेरियासराय, दिनांक 31/3/2020

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैंनेजर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निविदा की विस्तृत जानकारी जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित एवं उन्हे निदेश दिया जाता है कि इस निविदा को दरभंगा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से दो दैनिक प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही प्रकाशित निविदा का पेपर कटिंग जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, दरभंगा को ससमय उपलब्ध करावें।
प्रतिलिपिः– सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, दरभंगा/जिला लेखा पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांकः– 654 /जि0आ0प्र0, लहेरियासराय, दिनांक 31/3/2020

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने–अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार कराने की कृपा की जाय।
प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।